न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

69 / 2024

श्री सत्यनारायण वर्मा पुत्र बंशीलाल वर्मा निवासी रजवास तहसील निवाई जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 16.01.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 03.11.2024 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1. टोंक जिले में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सिलोकोसिस योजनान्तर्गत जीवीत व मृतक आश्रित लाभान्वितों की सूचना उपलब्ध करावें योजना आरम्भ से अब तक की सूचना रजि. संख्या पीडीत का नाम पिता का नाम व पूर्ण पता सहित सूचना पत्रावली या सूची या जिस भी प्रारुप में विभाग के पास है सूचना उपलब्ध है उसी अनुसार सूचना उपलब्ध करानें का श्रम करावें ।
2. सूचना विभाग के पास जिस प्रारुप में वैसे ही उपलब्ध करा दि जावें ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 1827 दिनांक 12.12.2024, 8 दिनांक 1.01.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 72 दिनांक 15.01.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 985 दिनांक 29.11.2024 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)